छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
::मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

पत्र क्रमांक/एफ/2011/ रायपुर, दिनांक – 08 SEP 2011

//आदेश//

क्रमांक /F-1/127/11, राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 1–49/2009/नौ/17:::::::: रायपुर दिनांक 13.10.2009 को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत मितानिनों के कल्याण व उनको स्वयं सेवी के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष का पुर्नगठन किया जाता है।

2/ 'मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष' अंतर्गत मितानिनों को मिलने वाले लाभ व सामान्य संचालन प्रक्रिया इस आदेश के संलग्न परिशिष्ट अनुसार रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राजयपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग

पत्र क्रमांक/एफ/2011/F-1-127/नौ/17 रायपुर, दिनांक – 08 SEP 2011

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।
3. निज सचिव, मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर।
5. 'मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष' संचालन समिति के समस्त सदस्यों को ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन छत्तीसगढ़।
7. स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग

परिशिष्ट

(शासन के आदेश क्र. F-1-127/11 दिनांक 8 SEP 2011)

अ–'मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष' – मितानिन को मिलने वाले लाभ

मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत मितानिनों को लाभ निम्नलिखित अनुसार दिये जावेंगे –

लाभ 1 – जीवन बीमा व छात्रवृत्ति योजना :– मितानिन अथवा मितानिन के पति का जीवन बीमा कराया जावेगा। मितानिन के बच्चे यदि 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति दी जावेगी।

लाभ 2 – स्वास्थ्य बीमा :– सभी मितानिनों के परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत हितग्राही बनाया जावेगा। गैर बी.पी.एल. मितानिनों का प्रीमियम मितानिन कल्याण कोष से दिया जावेगा।

लाभ 3 – शिक्षा हेतु प्रोत्साहन :– मितानिनों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जावेगा। जो मितानिन इस योजना के आरंभ होने (1 जुलाई 2011) पश्चात् 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है उनको प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

लाभ 4 – आकस्मिक सहायता :– विशेष परिस्थितियों में जहां मितानिनों को आकस्मिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो समय–समय पर राज्य शासन की स्वीकृति के आधार पर मितानिनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

लाभ 5 – मुफ्त ईलाज :– मितानिनों को शासकीय अस्पतालों में इलाज कराने पर सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त रखा जावेगा।

लाभ 6 – मितानिनों हेतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में आय वर्धक गतिविधियों का प्रशिक्षण व मदद :– मितानिनों को स्वावलंम्बी बनाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़े आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दिया जावेगा। उपरोक्त गतिविधियों हेतु मितानिनों के स्वयं सहायता समूह भी गठित किये जावेंगे। आयवर्धक गतिविधियों हेतु इच्छुक मितानिनों को शासन की सम्बंधित योजनाओं व कार्यक्रमों से जोड़ा जावेगा। यथासंभव शासकीय योजनाओं में उपलब्ध प्रावधानो व राशियों का उपयोग किया जावेगा।

लाभ 7 – मितानिनों को सम्मानित करना व उनकी सामाजिक पहचान को प्रोत्साहित करना – इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित गतिविधियों की जावेंगी –

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में मितानिन दिवस आयोजित कर मितानिनों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्मानित किया जावेगा।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना व अन्य शासकीय कार्यक्रमों के ग्राम सभा स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण में मितानिनों को स्त्रोत व्यक्ति के रूप में जोड़ा जावेगा। इस हेतु संबंधित विभागों को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावेंगे।

अन्य लाभ – उपरोक्त लाभो के अतिरिक्त अन्य लाभ शासन की स्वीकृति अनुसार समय–समय पर जोड़े जा सकते है।

'मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष' – समान्य संचालन प्रक्रिया

'मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष' का गठन मितानिनों के कल्याण हेतु व उनको स्वयं सेवी के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। मितानिन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु सामान्य संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार है –

1. **संचालन समिति** – मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के संचालन हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है –

अध्यक्ष	माननीय स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
पदेन सचिव	संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र
सदस्य :	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	राज्य नोडल अधिकारी, मितानिन कार्यक्रम
	वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट का अनुमोदन संचालन समिति द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा वर्ष में न्यूनतम दो बैठके की जावेंगी जिनमें कार्ययोजना पर प्रगति की समीक्षा की जावेगी एवं आगामी कार्ययोजना तय की जावेगी। मितानिनों के लिए आकस्मिक सहायता मद से की गई गतिविधियों की कार्योत्तर स्वीकृति संचालन समिति से प्राप्त की जानी होगी। निर्धारित सात प्रकार के लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ दिये जाने पर भी कार्योत्तर स्वीकृति संचालन समिति से प्राप्त की जानी होगी। मितानिन कल्याण कोष की अनुमोदित कार्ययोजना का क्रियान्वयन राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा किया जावेगा एवं समिति की बैठकों में इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

1. **वित्तीय व्यवस्थापन** :– मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु राशि राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को जारी की जावेगी। कोष में जे.आर.डी. टाटा पुरूस्कार राशि, राज्य बजट व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तहत मितानिन कल्याण हेतु उपलब्ध राशि एवं EUSPP कार्यक्रम में मितानिन मद से उपलब्ध राशि एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशियों का समावेश किया जावेगा। मितानिन कल्याण कोष हेतु राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र अन्य स्त्रोतों से भी राशि प्राप्त कर सकता है। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा मितानिन कल्याण कोष हेतु अलग बैंक खाता में राशि जमा कर व्यय की जावेगी। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को उपरोक्त राशियाँ उपलब्ध होने तक अंतरिम अवधि में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के पास उपलब्ध मितानिन कार्यक्रम संबंधित राशि में से मितानिन कल्याण कोष के कार्य प्रारंभ किये जा सकते हैं।

2. **पात्रता** :– मितानिन कल्याण कोष अंतर्गत सभी गतिविधियों में मितानिन के साथ–साथ सभी मितानिन प्रशिक्षक व खण्ड मितानिन समन्वयक (अशासकीय) भी पात्र होंगे। पात्र व्यक्तियों की सूची राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा संधारित की जावेगी। निम्नलिखित प्रक्रिया में मितानिन शब्द से

अभिप्राय में मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक व खण्ड मितानिन समन्वयक (अशासकीय) भी सम्मिलित है। आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं को किन्ही प्रकरण में राज्य स्तर से जांच में दोषी पाया गया हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी।

3. **क्रियान्वयन प्रक्रिया** :–

4(क). जीवन बीमा योजना :– मितानिन अथवा मितानिन के पति का जीवन बीमा कराया जावेगा। इनकी सूची राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा तैयार की जावेगी। बीमा कराये गये किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आवश्यक दस्तावेज बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराने का कार्य राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा मितानिन प्रशिक्षको, खण्ड समन्वयकों आदि की मदद से किया जावेगा। बीमा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावेगा। मितानिनों के जो बच्चें 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे है, उनको छात्रवृत्ति भी दी जावेगी। इस हेतु आवश्यक फार्म भरवाने व एकत्रित कर जीवन बीमा कम्पनी को प्रेषित करने का कार्य राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा मितानिन प्रशिक्षको, खण्ड समन्वयकों आदि की मदद से किया जावेगा।

4(ख). स्वास्थ्य बीमा :– सभी मितानिनों के परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत हितग्राही बनाया **जावेगा। गैर बी.**पी.एल. मितानिनों **का प्रीमियम** मितानिन कल्याण कोष से दिया जावेगा। इस हेतु मितानिन बी.पी.एल. है अथवा नहीं की जानकारी राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा एकत्रित की जावेगी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को उपलब्ध कराई जावेगी।

4(ग). शिक्षा हेतु प्रोत्साहन :– जो मितानिन इस योजना के आरंभ होने (1जुलाई 2011) पश्चात् 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है उनको प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

उपरोक्त प्रोत्साहन राशि केवल शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डलों से उत्तीर्ण मितानिनों को ही देय होगी। आवेदन के समय यदि आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच चल रही हो तो वह इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त योजना का राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावेगा। राशि प्राप्त करने के लिए मितानिन द्वारा 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंक सूची के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को मितानिन प्रशिक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जावेगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र इसका सत्यापन कर हितग्राही को राशि बैंक के माध्यम से भुगतान करेगा।

4(घ). आकस्मिक सहायता :– विशेष परिस्थितियों में जहां मितानिनों को आकस्मिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो समय–समय पर शासन की स्वीकृति के आधार पर मितानिनों को आर्थिक सहायता राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसकी कार्योत्तर स्वीकृति संचालन समिति से प्राप्त की जानी होगी।

4(ण) मुफ्त ईलाज :– शासकीय अस्पतालों में मितानिनों के इलाज के संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।

4(च) स्वास्थ्य से जुड़े आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण :– मितानिनों को स्वावलंम्बी बनाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़े आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इन गतिविधियों हेतु मितानिनों के स्वयं सहायता समूह भी गठित किये जा सकते है। प्रशिक्षण व मितानिनों को इस प्रकार की आयवर्धक गतिविधियों में आवश्यक तकनीकी व अन्य सहयोग राज्य स्वास्थ्य संसाधन

केन्द्र द्वारा विशेष इकाई गठित कर प्रदाय किये जावेंगे। आवश्यकता अनुसार योग्य स्वयं सेवी संस्थाओं को इस कार्य के लिए राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा अनुबंधित किया जा सकता है।

4(छ) ग्राम पंचायत में मितानिन दिवस :– मितानिनों को सम्मानित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में मितानिन प्रशिक्षकों के माध्यम से मितानिन दिवस आयोजित किये जावेंगे। इस गतिविधि की निगरानी करने की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र की होगी।

4. **योजना का प्रचार–प्रसार** :– मितानिन कल्याण कोष की योजना का प्रचार–प्रसार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा किया जावेगा। इस हेतु मितानिनों को लिखित जानकारी पहुंचाई जावेगी व रेडियो कार्यक्रम 'कहत हे मितानिन' के माध्यम से प्रचार किया जावेगा।

5. **शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया** :– मितानिन कल्याण कोष अंतर्गत निर्धारित लाभों को प्राप्त करने के विषय में कोई समस्या होने पर मितानिन अपनी शिकायत राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र में दर्ज करा सकते है। अन्य उपायों के अतिरिक्त इसके लिए टोलफ्री मितानिन हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की जावेगी। मितानिन हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतों को कम्प्यूटर पर दर्ज किया जावेगा व शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक जारी किया जावेगा ताकि शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी शिकायतकर्ता प्राप्त कर सके। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र में शिकायत दर्ज होने के एक माह के अंदर इसका निराकरण किया जाना होगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र प्राप्त शिकायतों व उनके निराकरण संबंधी प्रतिवेदन संचालन समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगा। मितानिन कल्याण कोष के प्रचार–प्रसार में शिकायत निराकरण प्रक्रिया व हेल्पलाइन का भी पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)